तारीख हुक्म		हुक्म या कार्यवाही	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/8/21		वकील फरीकैन उभय। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश दिनांक 26/8/2020 के तहत फैसला हक्क कन्फर्म किया जाता है तथा अप्रार्थीगण का [illegible] (T.I.) खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल किया गया। पत्रावली [illegible] दाखिल दफ्तर हो। [signature]	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारी– श्री ओमप्रकाश मीना आर ए एस उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

मु0नं0	प्रा0 पत्र	ता0दायरा	ता0निर्णय
45/20	अस्थायी निषेधाज्ञा	26.08.20	11.08.2021

प्यारेलाल पुत्र जयपाल आयु 62 साल जाति मीना निवासी मसावता तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान। –प्रार्थी

बनाम

01. वीरेन्द्र पुत्र अम्बालाल जाति मीना आयु 44 साल निवासी मसावता तहसील सपोटरा जिला करौली हाल निवासी उदेई मोड़ के पास, मीना कॉलोनी, गंगापुर सिटी तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर राजस्थान।
02. सुरेन्द्र पुत्र अम्बालाल जाति मीना आयु 40 साल निवासी मसावता तहसील सपोटरा जिला करौली हाल निवासी उदेई मोड़ के पास, मीना कॉलोनी, गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर राजस्थान।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः– श्री केशव कुमार गोतम एड0 वकील प्रार्थी।
श्री राजेन्द्र सोनी एड0 वकील प्रार्थी।
श्री विजयराज शर्मा एड0 वकील अप्रार्थीगण।

संक्षेप में प्रार्थना पत्र प्रार्थी के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने वाद पत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर कथन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि हाल खसरा नं0 532 ग्राम मसावता तह0 सपोटरा मे स्थित है जिसमे प्रार्थी काश्त कर लगान सरकारी अदा करता चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि से अप्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध नहीं है। लेकिन अप्रार्थीगण झगडालू किस्म के गुण्डा प्रवृति के व्यक्ति है जिन्हे कानून की कोई परवाह नही है। ये आये दिन प्रार्थी के कब्जे काश्त मे मजामहत पैदा करते रहते है तथा प्रार्थी को काश्त करने मे व्यवधान करते रहते है। प्रार्थी ने अपनी भूमि मे बाजरे की फसल काश्त कर रखी है। दिनांक 16.08.2020 को प्रार्थी अपनी बाजरे की फसल को देखने गया तो देखा कि अप्रार्थीगण प्रार्थी के खेत पर आ गये तथा प्रार्थी को धमकी दी कि वे प्रार्थी की फसल को नष्ट करेगें तथा प्रार्थी को फसल से लाभान्वित नही होने देगें। प्रार्थी ने जब उन्हे उलाहना दिया कि तुम्हारा उसकी भूमि से क्या सम्बन्ध है जो तुम इस तरह से प्रार्थी के कब्जे काश्त मे व्यवधान पैदा करते हो लेकिन अप्रार्थीगण ने प्रार्थी की किसी बात पर गौर नही किया। इसलिए प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निशेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थीगण ने जरिये वकील उपस्थित होकर अपना जवाब मय काउन्टर टी.आई. पेश कर कथन किया है कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे तथ्यों को छिपाते हुए काल्पनिक तथ्यो के आधार पर पेश किया है, जिसका सत्यता से कोई सम्बन्ध नहीं है तथा प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा काश्त भी नहीं है। कब्जे काश्त के अभाव मे अस्थाई निषेधाज्ञा जैसा अनुतोष प्रार्थी को प्रदान नही किया जा सकता है। कब्जे के अभाव मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी के अलावा प्रार्थी के दो भाई अम्बालाल व श्यामलाल और भी है, आज से करीब 25 वर्ष पूर्व सन् 1995 मे प्रार्थी व उसके दोनो भाई श्यामलाल व अम्बालाल द्वारा अपनी सम्पूर्ण पैतृक आराजीयात आदि को एक साथ सम्मिलित कर सभी का बाहमी तौर पर विभाजन कर लिया गया था। उक्त बाहमी बंटवारा लिखावट बही मे स्वय प्रार्थी द्वारा ही अपनी कलम से

Scanned with CamScanner

लिखी गई है, जिसमे प्रार्थी द्वारा स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि गौरीशंकर के उपर का खेत (बाबू का टुकड़ा सहित) व अन्य भूमि, जो लिखा पढी वही मे दर्शित है, मिन जवाबदारान के पिता अम्बालाल के हिस्से मे रहेगी। इसी प्रकार तीनों भाईयों के हिस्से मे आई भूमि का अलग अलग अंकन कर दिया गया और इसी अनुसार सभी पक्षकारों का भूमि पर कब्जा करा दिया गया तथा उक्त समय मौखिक पर तीनों भाईयों के मध्य यह भी तय हुआ कि बाद मे एक दूसरा भाई अपनी बयानबाजी कर, जिसके हिस्से में जितनी जमीन बाहमी विभाजन में आई है, उसे सम्बन्धित भाई के नाम लगवा देगा। वादग्रस्त भूमि सन् 1995 से मुताबिक बाहमी बंटवारा, मिन जवाबदारान का कब्जा निरन्तर बिना किसी व्यवधान के खुले रूप से प्रार्थी की जानकारी मे चला आ रहा है जिसके उपरान्त भी अब प्रार्थी के मन मे बदयांति आ रही है और येन केन प्रकारेण मिन जवाबदारान को हैरान व परेशान करने पर उतारू है जिसके चलते वह उक्त भूमि को लेकर आये दिन मिन जवाबदारान को उक्त भूमि के उपयोग, उपभोग व प्रयोग में व्यवधान उत्पन्न कर रहा है। एसी सूरत मे वादग्रस्त आराजी पर एडवर्स पजेशन के आधार पर भी मिन जवाबदारान को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं और मौखिक इकरार के अनुसार भी मिन जवाबदारान उक्त भूमि की खातेदारी अपने नाम घोषित कराकर इन्द्राज दुरूस्ती कराने के हकदार है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बावत् अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे तथा मिन जवाबदारान की ओर से पेश किया गया काउन्टर टी.आई. स्वीकार फरमाया जावे।

काउन्टर टी.आई. का जवाब प्रार्थी ने पेश कर निवेदन किया है कि भूमि हाल खसरा नं0 532 प्रार्थी की स्वअर्जित जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की गई भूमि है जिसके सम्बन्ध मे कभी बाहमी बंटवारा नहीं हुआ काउन्टर क्लेम गलत तथ्यों पर पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। प्रार्थी सरकारी कर्मचारी रहा है तथा अधिकारी पद से रिटायर्ड हुआ है प्रार्थी का कभी कोई आपराधिक रिकार्ड नही रहा है। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि पर कभी अप्रार्थीगण का कब्जा नहीं रहा है। पूर्व मे प्रार्थी ने अपने खातेदारी भूमि मे बाजरे की फसल काश्त की थी जिसको अप्रार्थीगण बदनियति चोरी से काटकर ले गये जिसके खिलाफ प्रार्थी ने मुकदमा दायर करवा दिया था जिसकी प्रोटेस्ट पिटिशन न्यायालय मे विचाराधीन है। प्रार्थी ने उक्त खातेदारी भूमि के सम्बन्ध मे कभी कोई बाहमी बंटवारा नहीं हुआ उक्त आराजी प्रार्थी की स्वअर्जित भूमि है। इसलिए अप्रार्थीगण का काउन्टर टी.आई. खारिज फरमाया जावे।

बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि विवादित आराजी प्रार्थी की सेपरेट खातेदारी की भूमि है जिससे अप्रार्थीगण का कोई किसी तरह का सम्बन्ध नही है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य कभी कोई किसी तरह का बाहमी बंटवारा नही हुआ है ना ही बाहमी बंटवारा के सम्बन्ध मे किसी प्रकार की कोई लिखा पढी हुई है। इसलिए अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा कन्फर्म किया जावे तथा अप्रार्थीगण का काउन्टर क्लेम खारिज फरमाया जावे। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र के जवाब के तथ्यों को ही अपनी बहस मानने का निवेदन किया है।

वकील उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। मुताबिक जमाबंदी संम्बत् 2073–76 ग्राम मसावता तहसील सपोटरा विवादित आराजी प्रार्थी की सेपरेट खातेदारी की दर्ज रिकार्ड है जिससे अप्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नही है। अप्रार्थीगण का विवादित आराजी पर बाहमी बंटवारा होने के सम्बन्ध मे लिखा पढी करने के कथन के सम्बन्ध मे कोई साक्ष्य एवं दस्तावेज पेश नही किये है तथा विवादित भूमि पर कब्जा होने के सम्बन्ध मे भी कोई साक्ष्य अथवा दस्तावेज पेश नही किये है। अप्रार्थीगण के उक्त तथ्यों को दावा साक्ष्य सबूतो के आधार पर तय किया जावेगा। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपुरणीय क्षति तीनों प्रार्थी के पक्ष मे साबित है, अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा पावंद किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Scanned with CamScanner

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम आदेश दिनांक 26.08.2020 को ताफैसला दावा कन्फर्म किया जाता है। अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे प्रार्थी की खातेदारी की आराजी ग्राम मसावता तहसील सपोटरा की आराजी खसरा नं0 532 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा में प्रार्थी के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना तो स्वयं करें ना ही किसी अन्य से करावे। अप्रार्थीगण का काउन्टर टी.आई. खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 11.08.2021 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा शामिल दावा रहे।

(ओम प्रकाश मीना आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा जिला करौली

Scanned with CamScanner